कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 24.05.2018 द्वारा श्रीमती संध्या आर्य प्रधानाचार्य, राबाउमावि–किशनगढ रेनवाल, जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि–छोटी बिजोलिया भीलवाडा किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती आर्य द्वारा माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं 787/2018 श्रीमती संध्या आर्य बनाम सरकार दायर की गई।

अपील सं 787/2018 के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2018 द्वारा अपीलार्थिया को दिनांक 29.06.2018 तक अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16.07.2018 तक एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारण करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थिया के अभ्यावेदन निस्तारित किये जाने तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24.05.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थिया के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के एकल महिला होने, माता के गठिया रोग से ग्रसित होने एवं अपीलार्थिया को ज्यादा चलने फिरने से इंकार किये जाने की चिकित्सकीय सलाह के मध्यनजर अपीलार्थिया संध्या आर्य द्वारा स्वयं को किशनगढ रेनवाल, जयपुर में ही प्रधानाचार्य के पद पर यथावत रखे जाने की परिवेदना की गई।

माननीय अधिकरण के निर्णय की अनुपालना में अपीलार्थिया से प्राप्त अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। अपीलार्थिया जो एक राज्य सेवा के अधिकारी हैं, जिसे नियोक्ता द्वारा प्रशासनिक आधार पर/छात्र एवं राज्य हित में राज्य में कही पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अतः इस आधार पर चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण अपीलार्थिया संध्या आर्य को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 24.05.2018 की अनुपालना में राउमावि–किशनगढ रेनवाल, जयपुर से तत्काल कार्यमुक्त होकर राउमावि–छोटी बिजोलिया, भीलवाडा में प्रधानाचार्य के पद पर दिनांक 10.08.2018 तक कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/संध्या आर्य/अपील/787/2018 दिनांक 6.8.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर/अजमेर ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा जयपुर/भीलवाडा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित अपीलार्थी।
8. श्री घनश्याम कुमावत, प्रधानाचार्य राबाउमावि–किशनगढ रेनवाल जयपुर।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner